उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल

:uttarakhandayurved@gmail.com

पत्रांक :2718 / उ0आ0वि0 / अधि0 / विज्ञप्ति / 2022–23 दिनांक : 17 दिसम्बर, 2022

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं ऋषिकुल / गुरूकुल परिसरों में विभिन्न शैक्षिक संवर्गों के **बैकलॉग के रिक्त पदों** को वाक–इन इन्टरव्यू (साक्षात्कार) से संविदा के आधार पर अधिकतम 11 माह के लिए या नियमित नियुक्ति जो भी पहले घटित हो, भरे जाने हेतु आयुष विभाग, उत्तराखण्ड, के पत्रांक संख्या 2549 / XL-1/2022-61/2022 दिनांक 02 दिसम्बर 2022 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.uau.ac.in** के माध्यम से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर, शुल्क व समस्त वांछित मूल शैक्षणिक अभिलेखों / संलग्नकों सहित दिनांक 28.12.2022 एवं 29.12.2022 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 9:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उपस्थिति होना सुनिश्चित करें। पदनाम, पदों की संख्या, निर्धारित नियम व शर्ते,मानदेय तथा आवेदन पत्र का प्रारूप का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.uau.ac.in** पर उपलब्ध है :–

प्रभारी कुलसचिव

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्याः 2718/ उ0आ0वि0 / अधि0 / विज्ञप्ति / 2022–23

दिनांकः 17 दिसम्बर, 2022

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं ऋषिकुल/गुरूकुल परिसरों में विभिन्न शैक्षिक संवर्गों के **बैकलॉग के रिक्त पदों** को वाक–इन–इन्टरव्यू (साक्षात्कार) से संविदा के आधार पर अधिकतम 11 माह के लिए या नियमित नियुक्ति जो भी पहले घटित हो, भरे जाने हेतु आयुष विभाग, उत्तराखण्ड, के पत्रांक संख्या 2549/XL-1/2022-61/2022 दिनांक 02 दिसम्बर 2022 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.uau.ac.in** के माध्यम से डाउनलोड किये गये निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर, शुल्क व समस्त वांछित मूल शैक्षणिक अभिलेखों/संलग्नकों सहित दिनांक 28.12.2022 एवं 29.12.2022 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 9:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में उपस्थिति होना सुनिश्चित करें। पदनाम, पदों की संख्या, निर्धारित नियम व शर्तें,मानदेय तथा आवेदन पत्र का प्रारूप का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.uau.ac.in** पर उपलब्ध विवरण निम्न प्रकार से है–

शैक्षणिक संवर्ग

(Backlog Contractual recruitment for the Post of Associate Professor & Assistant Professor)

Post Code	Departments	Associate Professor (A)	Assistant Professor (B)
01	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	01 (01 SC)	02 (02 SC)
02	क्रिया शारीर	-	02 (01 SC, 01 OBC)
03	रचना शारीर	01 (01 SC)	02 (01 SC, 01 OBC)
04	द्रव्यगुण विज्ञान	01 (01 OBC)	01 (01 ST)
05	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	01 (01 SC)	02 (01 OBC, 01 SC)
06	स्वस्थवृत्त एवं योग	01 (01 SC)	02 (01 SC, 01 OBC)
07	अगद तंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	01 (01 OBC)	01 (01 SC)
08	बाल रोग (कौमार भृत्य)	01 (01 SC)	02 (01 OBC, 01 SC)
09	प्रसूति एवं स्त्री रोग	01 (01 OBC)	01 (01 ST)
10	शल्य तंत्र	01 (01 OBC)	01 (01 ST)
11	शालाक्य तंत्र	01 (01 SC)	01 (01 OBC)
12	काय चिकित्सा	01 (01 ST)	02 (01 SC, 01 OBC)
13	संस्कृत	-	01 (OBC)
	TOTAL	**11** SC – 06 ST – 01 OBC - 04	**20** SC – 09 ST – 03 OBC - 08

नोट :–Abbreviations: SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जन जाति, OBC = अन्य पिछडा वर्ग। **केवल उत्तराखण्ड के वैध मूल निवास प्रमाण–पत्र धारक ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिये अर्ह हैं। किसी भी दशा में संविदा की नियुक्ति पर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।**

उपरोक्तानुसार कार्यवाहियों के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय में निहित होंगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

2– पदों हेतु शैक्षिक योग्यता:–

(1) पद कोड संख्या 01 से 12 तक अंकित पदों हेतु न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) **अनिवार्य अर्हता–**

(1) NCISM (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।

(2) NCISM (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) अधिनियम की अनुसूचियों में सम्मिलित सबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) **अनुभव–**

सह–आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) **के पद हेतु**: सम्बन्धित विषय में प्रवक्ता/लैक्चरर/असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पांच वर्षो का शिक्षण अनुभव अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय सस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पॉच वर्षो का अनुसधान अनुभव एवं मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों का प्रकाशन।

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) **के पद हेतु**: शिक्षण अथवा अनुसंधान का कोई अनुभव अपेक्षित नहीं है।

(ग) **अधिमानी अर्हता–**

1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित विषय में आयुर्वेद विद्यावारिधि (पी0एच0डी0)।
2. संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव को वरीयता प्रदान की जायेगी।
3. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन।
4. कम्प्यूटर एवं संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान।

(घ) **आयु सीमा–**

1. सहायक–आचार्य/असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु अधिकतम आयुसीमा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (**NCISM**) नई दिल्ली के मानकानुसार –

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(ड) **नियत मानदेय**–1–असिस्टेन्ट प्रोफेसर 50,000/–(पचास हजार रूपया) नियत प्रतिमाह।
2–एसोसियेट प्रोफेसर 60,000/–(साठ हजार रूपया) नियत प्रतिमाह।

(2) **पद कोड संख्या 13 अंकित पद हेतु** न्यूनतम–अनिवार्य/अधिमानी अर्हता का विवरण निम्नवत् है :–

(क) अनिवार्य अर्हता–

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा व्याकरण में आचार्य उपाधि अथवा संस्कृत साहित्य प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(ख) अनुभव–

हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी कार्य अनुभव।

(ग) अधिमानी अर्हता–

1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में आयुर्वेद विद्यावारिधि (पी0एच0डी0)

2. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में शोध पत्र प्रकाशन।

(घ)आयु सीमा–

सहायक–आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) के पद हेतु **अधिकतम 45 वर्ष**

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

3–आरक्षण :–

(1) **ऊर्ध्व आरक्षण**– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) **क्षैतिज आरक्षण**– उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय. समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा। उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को आरक्षण का लाभ तभी अमुन्य होगा जब सम्बन्धित पद शासन द्वारा विकलांगता की श्रेणियों में से किसी के लिए चिन्हित होगा।

(i)"**पूर्व सैनिक**" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयम् की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं– (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः–पूर्व सैनिकों के आश्रितों को किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

नोटः–

(1)उत्तराखण्ड राज्य शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्यहै।

(2) शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक के लिए, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों लिए, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित के लिए(माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन) तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिये क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

(3) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के परिशिष्ट–01 में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे परिषद्/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।

(5)आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होगा।

4–शुल्क :–अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ बैंक के माध्यम से निम्नलिखित साक्षात्कार शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो **वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून** के नाम देय हो, अनिवार्य रूप से साक्षात्कार की तिथि के दिन अपने साथ लाना आवश्यक होगा, **यह शुल्कप्रतिदेय नहीं होगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।**

(क)शैक्षणिक संवर्ग के (पद कोड संख्या 01 से 13 तक) हेतु–

क0सं0	श्रेणी	शुल्क प्रतिपद
01	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 2000/– मात्र
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 1500/– मात्र
03	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0टी0)	रू0 1500/– मात्र

5–आयु की गणना– **आयु की गणना अनुसार 01 जुलाई, 2022 के आधार पर की जायेगी। उक्त तिथि को ही संबंधित अभ्यर्थी आवेदित पद की वांछित अर्हता पूर्ण होनी आवश्यक है।**

सभी अथ्यर्थी विज्ञप्ति से सम्बन्धित समस्त नवीनतम सूचनाये मात्र विश्वविद्यालय वेबसाईट **www.uau.ac.in** द्वारा प्रसारित किया जायेगा। अत : अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट का नियमित रूप अवलोकन करते रहे।

प्रभारी कुलसचिव